

FORM 2  
(See sub-rule (4) of rule 8A)

OFFICE OF DISTRICT ELEMENTARY EDUCATION OFFICER  
(DUNGARPUR (Name of District), Rajasthan)

कमोंक- जिशिअ/प्राशि/डुंगर/आर.टी.ई/16-17/ 60

Dated:

16-3-17

The Chairman/Manager,

Managing Committee,

School  
कोरटन इंटरनेशनल प.स. डुंगरपुर

Subject: Recognition Certificate for the School under sub-rule (4) of rule 8A.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application dated \_\_\_\_\_ and subsequent correspondence with the school/inspection in this regard, I convey the grant for provisional recognition to the कोरटन इंटरनेशनल प.स. डुंगरपुर (name of the school with address) for Class 1 to Class 5 for a period of three years w.e.f. 21-3-17 to रा.प.

The above sanction is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize/affiliate beyond Class VIII.
2. The School shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009) and the Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.
3. The School shall admit in class I or in pre-school class, as the case may be, to the extent as per the Act of 2009, of the strength of that class, children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighbourhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
4. For the children referred to in paragraph 3, the School shall be reimbursed in accordance with the provisions of the Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011. To receive such reimbursements the school shall maintain a separate bank account.
5. The Society/School shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
6. The School shall not deny admission to any child for lack of proof of age and shall adhere to the provisions of section 15 of the Act of 2009. The School shall ensure:

- (i) No child admitted to the school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in the school;
- (ii) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;
- (iii) No child shall be required to pass any Board examination till the completion of elementary education;
- (iv) Every child completing elementary education shall be awarded a certificate as laid down under rule 23 of the Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011;
- (v) Inclusion of students with disabilities/special needs as per the provisions of the Act of 2009;
- (vi) The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under subsection (1) of section 23 of the Act of 2009: Provided that the current teachers who, at the commencement of the Act of 2009 do not possess minimum qualifications, shall acquire such minimum qualifications within a period of 5 years, as per the provisions of the proviso to section 23 of the Act of 2009;
- (vii) The teachers performs their duties specified under subsection (1) of section 24 of the Act of 2009; and
- (viii) The teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.

7. The School shall follow the syllabus on the basis of the curriculum laid down by the appropriate authority.

8. The School shall maintain the standards and norms of the school as specified in section 19 of the Act of 2009. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:-

***Area of school campus***

***Total built up area***

***Area of play ground***

***No. of class rooms***

***Room for Headmaster-cum-Office-cum-Storeroom***

***Separate toilet for boys and girls***

***Drinking Water Facility***

***Kitchen for cooking Mid Day Meal***

***Barrier Free Access***

***Availability of Teaching Learning Material/Play Sports***

***Equipments/Library***

9. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the same name of school.

10. The school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development.

11. The School is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860), the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958), or a public trust constituted under any law for the time being in force;


12. The School is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons;

13. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared



14. The Recognition Code Number allotted to your school is 17 This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.
15. The school furnishes such reports and information as may be required by the Director of Elementary Education/ District Elementary Education officer from time to time and complies with such instructions of the State Government / Local Authority as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school:
16. Renewal of Registration of Society, if any, be ensured.
17. Other conditions as per Annexure enclosed.

Yours Faithfully,


  
District Elementary Education Officer,  
**DUNGARPUR** Distirct

कमांक जिशिअ/प्राशि/डुंगर/आर.टी.ई/16-17 160

प्रतिलिपि :-

Dated: 16-5-17

1. ब्लॉक प्राशि अधिकारी पं.स. आसपुर/बिछीवाडा/डुंगरपुर/सागवाडा/सीमलवाडा / चिखली/साबला/झौथरी/दोवडा/गलियाकोट ।
2. कार्यालय प्रति ।

  
District Elementary Education Officer,  
**DUNGARPUR** Distirct

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी DUNGARPUR, राजस्थान

क्रमांक: 2155

दिनांक 10/3/2021

सचिव


प्रबंध समिति

Boston International School

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 37655 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Boston International School पता Street No. 1 Azad Nagar, Dungarpur ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NP DUNGARPUR ब्लॉक DUNGARPUR को शैक्षिक सत्र 2020-21 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-


मान्यता का प्रकार	क्रमोन्नति
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	No

  
जिला शिक्षा आधिकारिक  
मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा  
डुंगरपुर कोड न. -1509



**कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी DUNGARPUR, राजस्थान**

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस-पड़ोस के 'कमजोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।  
विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि  
(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;  
(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;  
(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;  
(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;  
(V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;  
(VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए  
(VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं  
(VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेगा।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।  
विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

  
**जिला शिक्षा अधिकारी**  
मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा  
डुंगरपुर कोड नं. -1509


मान्यता कोड : RJDGP31000


प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी DUNGARPUR , राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 रक्षित पत्रावली।

  
जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा  
डुंगरपुर कोड नं. -1509

  
जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी  
जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा  
डुंगरपुर कोड नं. -1509